छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002

क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,
प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
(छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने बाबत् ।

––––000––––

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की **कंडिका–5.01–** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पदनामित राज्य के लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को अभी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि अभी भी लोक प्राधिकरणों के अनेक जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके अभाव में आवेदकों को जानकारी प्रदाय करने एवं प्रकरणों के विनिश्चय करने में कठिनाई आ रही है ।

2/– अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ लोक प्राधिकरणों में पदनामित जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम एवं दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नंबर की जानकारी संकलित कर कृपया एक सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाये ।

(कमर अली)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,
प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 336/स्था./छगरासूआ/13, दिनांक 28.2.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग